

न्यायालय तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम सुभानखां पुत्र वलेखा कौम पिंजारा मुसलमान सा. मांडवला

मुकदमा नं. - 1/21


धारा 91 राज.भू.रा.अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 11.5.2021

पत्रावली आज पेश हुई गैरसायल अनुपस्थित पटवारी हल्का मांडवला की रिपोर्टनुसार मौजा मांडवला के ख.नं. 717 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु.गोचर भूमि पर संवत् 2078 में कब्जा रूप में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैरसायल को धारा 91(3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। गैरसायल द्वारा अपने कब्जे की वैद्यता में पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अतः राज.भू.रा.अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 5. रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.16 हैक्टर की दर 0.80 रुपये का पचास गुना से RF 100 रुपये अक्षरे सौ रुपये रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को जुर्माना वसूली एवं भू.अ.नि. को मौके से अतिक्रमण बेदखली हेतु एवं टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार, जालोर

क्रमांक : त.जा.कोर्ट / 1402

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपर्युक्तानुसार पालनार्थ :-

1. टी.आर.ए. कार्यालय हाजा
2. भू.अ.नि. मांडवला
3. पटवारी हल्का मांडवला

दिनांक : 11/5/21


तहसीलदार, जालोर